न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, श्रीगंगानगर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस.

अपील संख्या 102/2016

1. रामेश्वरी पत्नी मंशाराम
2. विकास पुत्र मंशाराम
3. सुमन पुत्री मंशाराम
4. मुकेश पुत्र मंशाराम

जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

––अपीलांट्स

बनाम

1. भूराराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
3. उप–पंजीयक राजियासर तहसील सूरतगढ।

–– रेस्पोंडेन्ट्स

अपील अर्न्तगत धारा 223 राज.काश्त.अधि.1955

विरूद्ध आदेश उपखंड अधिकारी सूरतगढ

दिनांक 01.04.2015

उपस्थितिः–

श्री भागीरथ बिश्नोई, अभिभाषक अपीलांट

श्री बाबूलाल चाण्डक, अभिभाषक रेस्पों.

श्री श्यामसुन्दर चाण्डक, राजकीय अधिवक्ता

निर्णय **दिनांक :– 06.11.2017**

प्रकरण के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार से हैं कि वादी/रेस्पों. सं. 1 ने एक वाद न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के समक्ष राज.काश्त.अधि. की धारा 88 व 209 के तहत पेश कर मालेर के ख.नं. 166/2 की 1.012है0 कमाण्ड व 2.024है0 अनकमाण्ड के स्थान पर ख.नं. 166/3 में 1.012है0 कमाण्ड व 2.024है0

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

अनकमाण्ड वादी के नाम से करने की घोषणा स्वीकार की है। उक्त आदेश के विरूद्ध अपीलांट ने यह अपील पेश की है।

उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलांट ने मुख्य रूप से अपील मीमों में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि रेस्पों. सं. 1 को ख.नं. 166/3 का कभी रकबा आवंटन ही नहीं हुआ था उसका आवंटन ख.नं. 166/2 में था। ख.नं. 166/3 में रकबा राज उपलब्ध नहीं था। अधी. न्यायालय ने बिना किसी आधार के वादी का वाद स्वीकार कर लिया। अपीलाधीन आदेश पारित करने से पूर्व अपीलांट को पक्षकार नहीं बनाया गया और न ही सुना गया। अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र अन्तर्गत धारा 96 सीपीसी स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान करने का निवेदन किया। अपीलाधीन आदेश की जानकारी होने पर बिना किसी देरी के अपील पेश कर दी जिसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश किया। अतः अपील पेश करने में हुए विलम्ब को माफ करते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाकर अपील अपीलांट स्वीकार की जावे।

विद्वान अभिभाषक रेस्पों. ने अपनी बहस में कथन किया कि अपीलांट अपीलाधीन आदेश से प्रभावित पक्षकार नहीं है। उसके द्वारा प्रस्तुत प्रा.पत्र 96 सीपीसी स्वीकार किये जाने योग्य नहीं है। इसके अलावा अधी. न्यायालय मुं वाद स्टेट के विरूद्ध पेश किया। स्टेट की ओर से जबाबदावा पेश हुआ। राज्य पक्ष द्वारा अपने जबाब में स्टेट का हित रखकर निर्णय किये जाने का निवेदन किया। अधी. न्यायालय द्वारा वादी का वाद स्वीकार करने में कोई भूल नहीं की है। अतः अपील खारिज की जावे। अपने पक्ष के समर्थन में आर.आर.डी. 1993 पेज 44, आर.आर.टी. 2012(1) पेज 676, आर.आर.टी. 2007 पेज 346, आर.आर.डी. 2016 पेज 378, आर.आर.टी. 2016 पेज 333 की नजीरें पेश की।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया।

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर (राज.)

आदेश के अन्तर्गत वादी/रेस्पो. 1 को पुख्ता

अपीलांट द्वारा अपील पेश करने की अनुमति बाबत प्रा.पत्र 96 सीपीसी पेश कर जो तथ्य पेश किये हैं उनको दृष्टिगत रखते हुए एवं अपील का निर्णय गुणावगुण के आधार पर निर्णित करने को दृष्टिगत रखते हुए प्रा.पत्र स्वीकार कर अपील पेश करने की अनुमति प्रदान की जाती है।

अपीलांट द्वारा यह अपील आदेश दिनांक 01.04.2015 के विरूद्ध दिनांक 14.07.2016 को पेश की है। इसके लिये मियाद अधिनियम की धारा 5 का प्रा.पत्र मय शपथ पत्र पेश कर जो तथ्य पेश किये हैं उसे दृष्टिगत रखते हुए अपील अन्दर मियाद शुमार की जाती है।

अपील अधी. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सूरतगढ के निर्णय दिनांक 01. 04.2015 के विरूद्ध पेश हुई है जिसमें रेस्पों. भूराराम को आवंटित भूमि ख.नं. 166 को ख.नं. 166/3 में परिवर्तन करने का दावा डिक्री किया है जो अपीलांट को आवंटित होने से अपीलांट हितबद्ध पक्षकार होकर अधी. न्यायालय का निर्णय निरस्त करने का अनुतोष चाहा है।

अधी. न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया। विवाद की विषयवस्तु एक ही ख.नं. 166 के बटा नं. 166/2 व 166/3 है। चुंकि सालम नं. खसरे के बटा नं. डालने के लिये नियम बने हुए हैं जो आवंटन से पूर्व सालम नं. को विभिन्न हिस्सों में बांटकर उसके बटा नं. देना या नामान्तरण की पुश्त पर सालम नं. को विभिन्न हिस्सों में बांटकर उसके बटा नं. देना या नामान्तरणकरण की पुश्त पर सालम नं. के विभाजन पर तरमीम नक्शें में बटा नं. देकर नामान्तरण का निस्तारण निर्देशित है। इस सम्बन्ध में राजस्व मण्डल अजमेर ने अपने आदेश दिनांक क्रमांक राम/भू.अ./जी.3/62/2014/10102 दिनांक 20.06.2014 में स्पष्ट निर्देश दिये हैं कि भू.अभिलेख नियमावली 1957 के प्रावधानुसार यदि किसी ख.नं. का हिस्सा (आंशिक खण्ड) अन्तरित होता है तो नामान्तरणकरण की पुश्त पर तरमीम किये वगैर नामान्तरणकरण तस्दीक नहीं किया जाए। यह परिपत्र भू अभिलेख नियमावली 1957 के नियम 125 की क्रियान्विति हेतु जारी किया है जो 1957 से राजस्व **Book of Law** पर उपलब्ध है। इस निर्देश एवं नियम अनुसार

6/11/17

राजस्व अपील प्राधिक
श्रीगंगानगर (राज.)

... आदेश के अन्तर्गत वादी/रेस्पो. 1 को पुर

रकबा बटा में रेस्पों. का ख.नं. 166/3 होना प्रतीत होता है क्योंकि अधी. न्यायालय की पत्रावली में विनिश्चत तनकी सं. 1 आया वादी के नाम सम्वत 2064–67 की जमाबन्दी ग्राम मालेर की रोही के ख.नं. 166/2 में 1.012है0 कमाण्ड व 2.024है0 अनकमाण्ड रकबा दर्ज हुआ है? वह गलत इन्द्राज हुआ होने के कारण उसे निरस्त कराके सही ख.नं. 166/3 में उक्त रकबा दर्ज करवाने की घोषणा कराने का हकदार है? का निर्णय इस रूप में किया गया है कि वादी को आवंटित रकबा पुख्ता आवंटन होने से पूर्व ही ख.नं. 166/3 का 12 बीघा रकबा का वादी वैधानिक टीनेंट था। सम्वत् 2064–67 की जमाबन्दी में वादी के नाम से बिना उचित आधार के ख.नं. 166/2 में 1.012है0 कमाण्ड व 2.024है0 अनकमाण्ड रकबा जिस ढंग से दर्ज किया है आधारहीन दर्ज होने के कारण वादी इस रकबे को अपने नाम से कलमजन कराके उसके स्थान पर सही ख.नं. 166/3 में 1.012है0 कमाण्ड व 2.024है0 अनकमाण्ड रकबा का इन्द्राज अपने नाम से कराने की घोषणा स्वीकार कराने का हकदार है।

उपरोक्त विवेचन से यह साबित होता है कि विवादित आराजी ख.नं. 166/3 में रेस्पों. का नाम जमाबन्दी 2064–67 बिना उचित आधार के हटाया है जबकि सम्वत् 2042 की जमाबन्दी में ख.नं. 166/3 रेस्पों. के नाम चला आ रहा था। अतः अधी. न्यायालय ने अपने निर्णय दिनांक 01.04.2015 द्वारा जमाबन्दी सम्वत् 2042 की स्थिति बहाल करने के आदेश दिये हैं जो विधि सम्मत् है। अतः अधी. न्यायालय द्वारा निर्णित तनकी सं. 1 रिकार्ड आधारित होकर विधिसम्मत होने एवं निर्णय का आधार भी यह तनकी होने से हस्तक्षेप की गुंजाइस नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

निर्णय आज दिनांक 06.11.2017 को मेरे द्वारा खुले न्यायालय में सुनाया गया।

6/11/17

(प्रेमाराम परमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगगांनगर

डिक्री व सीगे अपील

(ओ.41 रूल 35, जाब्ता दिवानी)

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी,श्रीगंगानगर

इजलास श्री प्रेमाराम परमार, आर.ए.एस., राजस्व अपील प्राधिकारी,

1. रामेश्वरी पत्नी मंशाराम
2. विकास पुत्र मंशाराम
3. सुमन पुत्री मंशाराम
4. मुकेश पुत्र मंशाराम

जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।

——अपीलांट्स

बनाम

1. भूराराम पुत्र नानूराम जाति जाट निवासी मालेर तहसील सूरतगढ जिला श्रीगंगानगर।
2. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार सूरतगढ।
3. उप–पंजीयक राजियासर तहसील सूरतगढ।

—— रेस्पोंडेन्ट्स

अपील संख्या 102/2016 व नाराजगी डिक्री अदालत उपखण्ड अधिकारी मुकाम सूरतगढ मुक्र्ख 01 माह 04 सन् 2015

दावा बाबत

यह अपील व तारीख 06 माह 11 सन् 2017 रूबरू मुझ हाजरी श्री भागीरथ बिश्नोई अभिभाषक मिनजानिब अपीलांट व श्री बाबूलाल चाण्डक अभिभाषक रेस्पों. एवं श्री श्यामसुन्दर चाण्डक राजकीय अधिवक्ता समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि अपील अपीलांट खारिज की जाती है। अधी. न्यायालय का निर्णय यथावत रखा जाता है।

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेर तादादी मुबलिग .. X .....) रूपये.. X . ..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का .. X ..... अदा करें।

बसब्त मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख 06.11.2017 जारी किया गया।

राजस्व अपील प्राधिकारी
श्रीगंगानगर